<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।</u>

UPSH010000652021

परिवाद संख्या–02/2021,

बृजभानू जाटव बनाम प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला एवं अन्य।

<u>30.05.2026:–</u>

1. पत्रावली आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में तलबी बहस पर सुना जा चुका है।

2. प्रस्तुत परिवाद, परिवादी की ओर से विपक्षीगण प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला, अनुराग गुप्ता, रामचरन एवं प्रमोद गुप्ता के विरूद्ध परिवाद में उल्लेखित घटना के सम्बन्ध में तलब कर दण्डित किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्लू0–1 चन्द्रसैन गौतम एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 करमेश कुमार को परीक्षित कराया गया है।

4. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि उसका खेत गाटा संख्या–136, ग्राम मौजमपुर, परगना जमौर, तहसील सदर, जिला शाहजहॉपुर में स्थित है। उसके उक्त खेत पर भूमाफिया प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला, अनुराग गुप्ता पुत्रगण प्रमोद गुप्ता, उनका भांजा नाम पता नामालूम व रामचरन पुत्र तुलाराम अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उसने अपने उक्त खेत को बचाने के लिये उपजिलाधिकारी सदर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायतें की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तहसील द्वारा पुलिस के सामने खेत की तूदाबंदी (मेडबंदी) करायी जा चुकी है। उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके खेत के बराबर एक छोटा–सा टुकड़ा खेत का खरीद कर, उसकी तूदाबंदी तोड़ दी और अवैध हथियार लेकर दस–बारह गुण्डों के साथ उसके खेत पर आकर कब्जा कर लिया। दिनांक 05.11.2020 को सुबह करीब दस बजे, जब वह अपने खेत पर गया तो उक्त मुल्जिमान तथा उनके दस–बारह गुण्डे, उसके खेत पर कब्जा किये हुये थे तथा उसका खेत जोत रहे थे। उसने जब विरोध किया तो प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा कि साले चमट्टे, इस खेत पर आ गया तो जान से मार देंगे, यहॉ हमें प्लाटिंग करनी है। वह जब खुद को छुड़ाकर भागा तो प्रवेश ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। वह बाल–बाल बच गया तो उक्त सभी लोगों ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और लात–घूसों से मारने लगे। इसी बीच प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला ने उसकी जेब में रखे बारह हजार रूपये छीन लिये। वह किसी तरह जान बचाकर भाग आया।

5. परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि **"**मैं अनुसूचित जाति 'जाटव' हूॅ। मेरे खेत गाटा संख्या–136, ग्राम मौजमपुर, परगना जमौर, तहसील सदर, शाहजहॉपुर में स्थित है। मेरे उक्त खेत पर भूमाफिया प्रवेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता व उनका भांजा जबरन अवैध कब्जा करना चाहते हैं। मैंने इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त प्रवेश गुप्ता ने मेरे खेत के बराबर में एक छोटा–सा टुकड़ा खेत

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.05.30 12:31:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का खरीद लिया और मेरे खेत पर कब्जा कर लिया और प्लाटिंग करना चाहते हैं। दिनांक 05.11.2020 को सुबह करीब 10:00 बजे जब मैं अपने खेत पर गया तो प्रवेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रवेश गुप्ता का भांजा व रामचरन ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया था। जब मैंने इसका विरोध किया तो प्रवेश गुप्ता ने मेरी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा कि साले चमट्टे खेत पर आ गया। मैं भागा तो उन्होंने मुझ पर फायर कियाजिससे मैं बाल–बाल बच गया। मेरे तीन–चार डण्डे मारे। मेरी जेब से 11000/–रूपये प्रवेश गुप्ता ने छीन लिये। रामचरन ने इतना कहा कि मारो इसको, साला रोज–रोज नौटंकी करता है। रामचरन जाटव है, अनुसूचित जाति का है। बाकी गुप्ता हैं, सामान्य जाति के हैं। जमीन का मुकदमा नहीं किया।"

6. मेरे द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का सम्यक् पूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके खेत गाटा संख्या–136 पर विपक्षीगण अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिसे बचाने के लिये उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। तहसील द्वारा पुलिस के सामने खेत की तूदाबंदी (मेडबंदी) करा दी गयी थी, परन्तु विपक्षीगण ने उसके खेत के बराबर में एक छोटा–सा टुकड़ा खेत का खरीद कर, उसकी तूदाबंदी तोड़ दी और अवैध हथियार लेकर दस–बारह गुण्डों के साथ उसके खेत पर आकर कब्जा कर लिया। दिनांक 05.11.2020 को सुबह करीब 10:00 बजे, जब वह अपने खेत पर गया तो विपक्षीगण, उसके खेत पर कब्जा किये हुये थे तथा उसका खेत जोत रहे थे। उसने जब विरोध किया तो विपक्षी प्रवेश गुप्ता उर्फ पिंकू उर्फ बागड़ बिल्ला ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा कि साले चमट्टे, इस खेत पर आ गया तो जान से मार देंगे, यहॉ हमें प्लाटिंग करनी है। वह जब खुद को छुड़ाकर भागा तो प्रवेश ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे वह बाल–बाल बच गया तथा विपक्षीगण ने उसको लात–घूसों से मारापीटा। इसी बीच विपक्षी प्रवेश गुप्ता ने उसकी जेब में रखे बारह हजार रूपये छीन लिये।

परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में भी बताया कि उसके खेत पर विपक्षीगण प्रवेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता व उनका भांजा जबरन अवैध कब्जा करना चाहते हैं। प्रवेश गुप्ता ने उसके खेत के बराबर में एक छोटा–सा टुकड़ा खेत लिया है और उसके खेत पर कब्जा कर लिया है तथा प्लाटिंग करना चाहते हैं। दिनांक 05.11.2020 को सुबह करीब 10:00 बजे वह अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि विपक्षीगण प्रवेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता व प्रवेश गुप्ता का भांजा रामचरन ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया है। जब उसने इसका विरोध किया तो प्रवेश गुप्ता ने कनपटी पर तमंचा लगाकर जातिसूचक गालियॉ दीं और फायर कर दिया, जिससे वह बाल–बाल बच गया।

परिवादी की ओर से धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 चन्द्रसैन गौतम एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 करमेश कुमार ने भी अपने बयानों में परिवाद में किये गये कथन व बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 का समर्थन किया है। परिवादी द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, शाहजहॉपुर के आदेश दिनांकित 17.02.2018 की छायाप्रति कागज संख्या–7ख/12 दाखिल की गयी है, जिसमें तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत मेड़बन्दी आख्या स्वीकार की गयी है। परिवादी द्वारा दाखिल अन्य प्रपत्रों से भी दर्शित है कि दोनों पक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है, जो पूर्णतः सिविल प्रकृति का है तथा सम्बन्धित

थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या कागज संख्या–9ख में भी यह बताया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन (गाटा संख्या–136 मौजमपुर) का विवाद है तथा दोनों पक्षों के खेत अगल–बगल में है एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 05.11.2020 की मारपीट आदि की जो घटना परिवादी द्वारा अपने परिवाद में अंकित की गयी है, सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा ऐसी कोई घटना होना नहीं पाया गया है। परिवादी की कोई आघात आख्या अथवा ईलाज के पर्चे भी पत्रावली पर नहीं है। अतः उपरोक्त प्रपत्रों से परिलक्षित होता है कि पक्षकारों के मध्य भूमि के स्वामित्व व दखल को लेकर विवाद है तथा परिवादी द्वारा सिविल विवाद में विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मारपीट आदि की घटना बतायी जा रही है, जबकि ऐसी किसी घटना की पुष्टि न तो पुलिस जॉच में हो सकी है और न ही किसी आघात आख्या आदि से ही इसका समर्थन हो रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **इन्दर मोहन गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 251** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दाण्डिक प्रक्रिया को, उत्पीड़न का हथियार अथवा बदला लेने का हथियार नहीं बनाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि **व्यवस्था गंगाधर कलिता बनाम असम राज्य 2015 (9) एस.सी.सी. 647** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रकृति के सम्पत्ति विवादों में अनुचित दबाव बनाने के लिये अथवा विपक्षी का उत्पीड़न करने के लिये दाण्डिक वाद योजित करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नं0–4250/2025 (Arising out of SLP (Crl.) No. 2682 of 2020) अनुकूल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दाण्डिक प्रक्रिया को, पक्षकारों के मध्य सिविल विवादों को निपटाने अथवा बदला लेने के उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों, सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं उसके द्वारा दाखिल किये गये प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुये, स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य जो विवाद है, वह दोनों पक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व व दखल को लेकर है, जो पूर्णतः सिविल प्रकृति का है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया प्रस्तुत परिवाद में वर्णित घटना कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है एवं विपक्षीगण को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

उपरोक्तानुसार परिवादी का परिवाद धारा–203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6211